रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09022021-225016
CG-DL-W-09022021-225016

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 05] नई दिल्ली, जनवरी 31 - फरवरी 6, 2021, शनिवार/ माघ 11 - माघ 17, 1942
No. 05] NEW DELHI, JANUARY 31 - FEBRUARY 6, 2021, SATURDAY/ MAGHA 11 - MAGHA 17, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 07 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (समूह- 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक/स्वागती, स्टोरकीपर और उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	10* (दस) (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रुपए)	अचयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200/- रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।	**विभागीय प्रोन्नति और पुष्टि समिति (पुष्टि और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल - **अध्यक्ष;** (ii) उपनिदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल - **सदस्य;** (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देखने वाले उपनिदेशक - **सदस्य।**	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अवर श्रेणी लिपिक	17* (सत्रह) (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।	हां, स्तंभ (11) में निर्दिष्ट सीमा तक।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

2) कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा मानक: क) अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति । ख) हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति अनुमत समय: 10 मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पांच कुंजी दबाव के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट, 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा/9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा के समतुल्य है।) टिप्पण : अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।			(ii) रिक्तियों का 10%, विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर, स्तर 1 (18000-56900/- रुपये) में समूह 'ग' कर्मियों में से, जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता का धारण करते हों तथा जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो, भरा जाएगा । परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा पैंतालीस वर्ष है (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की दशा में पचास वर्ष) । टिप्पण: यदि खंड ii के अधीन उपलब्ध कर्मियों में से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक हो तो उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे अतिरेक कर्मियों पर विचार किया जाएगा ताकि पहले की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मियों पर बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मियों से पहले विचार किया जा सके । (iii) रिक्तियों का 5%, वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर समूह 'ग' कर्मियों में से भरा जाएगा जिन्होंने स्तर 1 (18000-56900/- रुपये) में तीन वर्षों की नियमित सेवा की है ।

(11)	(12)	(13)
जैसा कि स्तंभ (10) में निर्दिष्ट है ।	**विभागीय प्रोन्नति और पुष्टि समिति (पुष्टि और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** **(i)** अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल **- अध्यक्ष;** (ii) उपनिदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल **- सदस्य;** (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कलावती सरन बाल अस्पताल का कार्य देख रहे उपनिदेशक **- सदस्य ।**	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए. 11018/29/2019-एमएच II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th January, 2021

G.S.R. 07 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules , 1981 , in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerk/Receptionist, Store Keeper and Upper Division Clerk , except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in Kalawati Saran Children's Hospital in New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare , the Kalawati Saran Children's Hospital , New Delhi , Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' Post) , Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk	10*(ten) (2021) *Subject to variation on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-).	Non selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Lower Division Clerk who have rendered eight years regular service in Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200/-)	**Departmental Promotion and Confirmation Committee (for considering Confirmation and Promotion) consisting of :** (i)Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital- -Chairman; (ii) Deputy Director , Kalawati Saran Children's Hospital - -Member; (iii) Deputy Director looking after the work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services-Member.	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Lower Division Clerk.	17*(Seventeen) (2021) *Subject to variation on workload	General Central Service, Group C Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200)	Non selection post	Between 18-27 years (Relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central government). **Note** : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
(1) 12th Class pass from a recognised Board or University. (2) Skill test norms on computer: (a) English Typing at 35 words per minute. (b) Hindi Typing at 30 words per minute. Time allowed: Ten Minutes. (35 w.p.m and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of five key depressions for each word) Note: Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority or Staff Selection Commission if any stage of selection the Competent authority or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely be available to fill up the vacancy reserved for them.	Yes, to the extend indicated in column no. (11)	Two years for direct recruitment.	(i) 85 % by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10 % of the vacancies shall be filled from amongst the Group C staff in level 1(Rs 18000- 56900) and who possess 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board/ University and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is forty five years (fifty years in case of SC/ST) **Note:** If more of such employees than the number of vacancies available under Clause ii qualified at the exam, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (i) 5% of the vacancies shall be filled on seniority cum fitness basis from group C employees who have three years regular service in the level 1 (Rs 18000- 56900).

(11)	(12)	(13)
As stated in column (10)	**Departmental Promotion and Confirmation Committee (for considering Confirmation and Promotion) consisting of-** (i)Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital- -Chairman; (ii) Deputy Director , Kalawati Saran Children's Hospital - -Member; (iii) Deputy Director looking after the work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable

[F. No. A. 11018/29/2019-MH-II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 08 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, सवार हरकारा, समूह 'ग' भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सवार हरकारा (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सवार हरकारा	01*(2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये)	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के

					अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख़, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास के साथ हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का वैध चालक लाइसेंस। **वांछनीय:** 1. प्राप्ति एवं प्रेषण से सम्बन्धित कार्य का एक वर्ष का अनुभव। 2. ऑटो या साइकिल चलाने का ज्ञान। (**टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं)।	आयु- नहीं अर्हता- हाँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : सफदरजंग अस्पताल के समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/- रुपये) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जो स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं। प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) : (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी – क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।	**विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी**: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल के प्रशासनिक कार्य संभालने वाले उपनिदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/23/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 27th January, 2021

G.S.R. 08 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjang Hospital, Despatch Rider, Group 'C' Recruitment Rules 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Despatch Rider (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating, thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Despatch Rider	1* (2021) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix.(19900-63200)	Non Selection.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date

					prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Union territories of Ladakh, Nicobar Islands and Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
12 th pass from a recognized Institution or Board with valid driving license of Light Motor Vehicle (LMV) **Desirable:** 1. Experience of one year in work related to diary and despatch 2. knowledge of Auto or Cycling ' (**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.	Age- No Qualification-Yes	Two years for Direct Recruits.	By promotion failing which by deputation (ISTC) failing both by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion From Group-C employees in Safdarjung Hospital with three years regular service in the Level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column - 7.	**Departmental Confirmation Committee consisting of**:- 1. Additional Medical Superintendent , Safdarjung Hospital - Chairman; 2. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital, New Delhi - Member; 3. Deputy Director looking after the administration work of Safdarjung Hospital in Directorate General of Health Services - Member.	Not applicable.

Deputation(including short term contract) (i) Officers under the central or state government or Union territories or autonomous or statutory organizations or Public Sector Undertaking or University or recognized Research Institution (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; or (ii) with three years regular service in the pay scale in Level-1 of the pay matrix and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.		

[F. No. A. 11018/23/2019-MH-II]

PREM NARAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 09 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (मैकेनिक-मोटर वाहन), भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में मैकेनिक-मोटर वाहन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (मैकेनिक-मोटर वाहन), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मैकेनिक (मोटर वाहन)	1*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी, न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधी भर्ती किए जानेवाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से निम्नलिखित व्यवसायों में से किसी एक में प्रमाण पत्र: (i) मोटर मैकेनिक (ii) डीजल मैकेनिक पाठ्यक्रम 3) बस, मोटर कार, ऐम्बुलेंस, आदि की मरम्मत का एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी**: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. अध्यक्ष, परिवहन समिति - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक - सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए. 11018/22/2016-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 27th January, 2021

G.S.R. 09 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Mechanic-Motor Vehicle), Recruitment Rules, 1989, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mechanic-Motor Vehicle in Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital in New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital in New Delhi, (Mechanic-Motor Vehicle), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix.—**The number of the said posts, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—**The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

   a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

   b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mechanic (Motor Vehicle)	1* (2021) (subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group C Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (19900-63200)	Not applicable	Between 18 and 25 years. The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
1.) 12th Class pass from a recognised board. 2.) Certificate from Industrial Training Institute in one of the following trades : (i) Motor Mechanics (ii) Diesel Mechanic Course 3.) One year experience in repair of Buses, motor cars, ambulances etc.	Not applicable	Two years	By Direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital - Chairman; 2. Chairman, Transport Committee - Member; 3. Deputy Director in charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services - Member; 4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital - Member.	Not applicable.

[F. No. A. 11018/22/2016-MH-II]

PREM NARAIN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM